भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1200
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमएवाई के अंतर्गत नामांकन

1200. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एबी-पीएमएवाई के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों का नामांकन किया गया है;
(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इसे बीमा और न्यास मॉडल के रूप मैं चुना है;
(ग) क्या योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए फोन/आधार संख्या को कई गुना बढ़ा दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) कल्याण योजनाओं के इस प्रकार के गुण-दोष और दुरुपयोग से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एक पात्रता-आधारित योजना है और इसलिए, नामांकन की आवश्यकता नहीं है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के पहले दिन से ही सभी पात्र लाभार्थी परिवारों को इसमें कवर किया गया है। हालाँकि, लाभार्थी की पहचान सत्यापित करने के लिए लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके अलावा, सत्यापित लाभार्थियों को पात्रता और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। 05.02.2024 तक देशभर में लगभग 31.02 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक **में** है।

वर्तमान में, चौबीस राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र यथा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लद्दाख , मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा , उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इस योजना को ट्रस्ट मोड में लागू कर रहे हैं।

छह राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र यथा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, लक्षद्वीप, मेघालय और तमिलनाडु बीमा मोड में योजना लागू कर रहे हैं, जबकि तीन राज्य यथा, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र इस योजना को हाइब्रिड मोड में लागू कर रहे हैं।

एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों का सत्यापन केवल आधार ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाता है। सेवाओं का लाभ उठाते समय लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा । आधार -प्रमाणीकरण डेटाबेस में डुप्लीकेशन नहीं होने को सुनिश्चित करता है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत सेवाएं प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है। मोबाइल नंबर केवल संचार उद्देश्यों के लिए एकत्र किए जाते हैं, और सिस्टम में लाभार्थी की पहचान से उनका कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए, योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, एबी-पीएमजेएवाई एक पात्रता-आधारित योजना है और लाभार्थी का नाम पहले से तय होता है। इसलिए, लाभार्थी डेटाबेस को बदला नहीं जा सकता है ।

*****

अनुलग्नक

योजना के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए आयुष्मान कार्ड
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	69,291
आंध्र प्रदेश	1,52,76,096
अरुणाचल प्रदेश	1,28,109
असम	1,67,05,595
बिहार	87,79,121
चंडीगढ़	1,75,224
छत्तीसगढ	2,11,86,696
डीएनजी और डीडी	4,34,869
गोवा	74,712
गुजरात	2,35,72,652
हरयाणा	1,09,96,749
हिमाचल प्रदेश	12,81,633
जम्मू और कश्मीर	84,24,753
झारखंड	1,19,04,270
कर्नाटक	1,56,53,897
केरल	75,47,752
लद्दाख	1,86,529
लक्षद्वीप	30,655
मध्य प्रदेश	3,88,24,391
महाराष्ट्र	2,55,56,047
मणिपुर	5,54,080
मेघालय	18,88,431
मिजोरम	5,16,884
नगालैंड	6,69,098
पुदुचेरी	4,90,844
पंजाब	84,46,653
राजस्थान	2,00,46,611
सिक्किम	70,005
तमिलनाडु	64,50,330
तेलंगाना	82,48,381
त्रिपुरा	14,00,417
उत्तर प्रदेश	4,91,46,657
उत्तराखंड	54,84,725
कुल	31,02,22,157

नोट: ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र एबी-पीएमजेएवाई लागू नहीं कर रहे हैं।

*****